26.04.2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित आए।

विपक्षी दर्शन सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भरत सिंह रावत उपस्थित आए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–32ख पेश कर कथन किया कि विपक्षी आज उपस्थित नहीं है, विपक्षी की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता प्रदान की जाय तथा आज बहस की तैयारी नहीं हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए, जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।